30 10/18 अनुपालन उपस्थित। पत्रावली का प्रति-
पर आसीन किया जाता है। निर्णय
प्रारूप से टंकित किया जाकर हस्ताक्षरि-
प्रकाशित किया जाए। पत्रावली नियम-
अनुसार होकर दाखिल हो जावे।
संलग्न बाद रहे।

कृपया करीकेन बस/श्रीमान।
पर राज कार्य में व्यस्त है। अतः
तारी दिनांक .... को अवश्य
पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम, अलवर

ठासीन अधिकारी – पुष्कर राज शर्मा (आर.ए.एस)

र्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
9/12	18.04.2012	30.10.2012

उनवान

सुभाष पुत्र श्री गोरेलाल जाति जाट
निवासी ग्राम कोटकासिम।

:–प्राथी/वादी

बनाम

दलीपसिंह पुत्र श्री गोरेलाल।
विक्रमसिंह पुत्र श्री गोरेलाल जाति जाटान
निवासी ग्राम कोटकासिम।
राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कोटकासिम
जरिये शाखा प्रबंधक कोटकासिम।
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी (लैण्ड होल्डर)
हसीलदार कोटकासिम।

:– अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम 1955
आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

पस्थित अधिवक्ता
श्री नरहरि व्यास – प्रार्थी
श्री विकास यादव – अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या व 2 की शामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीयात है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी के शामलाती हिस्से के कब्जे काश्त मे मजामहत व मदालखत पैदा करते रहते है। दिनांक 16.04.2012 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ऐलानियां तौर पर धमकी दी कि वे प्राथी की आराजी को बिना बंटाये ही दीगर लोगो को बेचान करेगे और प्रार्थी को उसके हिस्से से जबरन बेदखल करेगे व कब्जा करेगे। यदि अप्रार्थीगण अपने इन इरादो मे कामयाव हो गए तो प्रार्थी को अपने खातेदारी अधिकारो की आराजी से वंचित होना पडेगा। अजहद की

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

नि होगी। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाइ चन्दरोजा से पाबंद करवाने अधिकारी है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र एवं दस्तावेजो से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाइ यद व साबित होता है। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक प्रार्थी है। तः अप्रार्थीगण को जरिये हुक्मईम्तनाइ चन्दरोजा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित राजीयात हाल खसरा नम्बरान 137/1–03, 143/3–03, 902/1–04, 2323/0–05 घा कुल किता 4 कुल रकबा 5–15 बीघा वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम लवर को कही दीगर जगह रहन गय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही र्थी के शामलाती हिस्से के कब्जा काश्त मे मजामहत व मदालखत पैदा करे मौका व जस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब स्तुत किया कि प्रार्थी ने झूठे तथ्य दर्ज कर वादपत्र, शपथपत्र पेश किये है। जिनसे प्रार्थी ा केस प्राईमाफेसाइ आयद व साबित नही होता है। आराजीयात शामलात की नही है। ौके पर आराजी हक हिस्से अनुसार बांट रखी है व बाहमी बंटवारे के अनुसार ही मौके र काबिज काश्त है। परंतु बाहमी बंटवारा को अमलीजामा ना पहनाने के कारण राजस्व ेकॉर्ड मे शामलात मे दर्ज है।

प्रार्थी के हिस्से मे 1–18 बीघा आराजी आती है। जो उसने खसरा नम्बर 37/1–03, 902/1–04 बीघा मे से प्राप्त कर रखी है व इसी प्रकार शेष रकबा अप्रार्थी ंख्या 1 व 2 ने आपस मे बांट रखा है। बंटवारे के अनुसार ही अप्रार्थी संख्या 2 ने ाराजी खसरा नम्बर 143/3–03 बीघा मे अपनी लागत से सबमर्सिबल बोरिंग करवाया व द्युत कनेक्शन लेने हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कोटकासिम कार्यालय मे ैनांक 25.03.2008 को पत्रावली जमा करवाई थी व दिनांक 29.07.2011 को डिमाण्ड ोटिस भी जमा करा दिया गया था व विद्युत कनेक्शन हेतु समस्त सामान भी अप्रार्थी ने पने हिस्से की आराजी मे डाल रखा है, परंतु प्रार्थी द्वारा बेजा रूप से तंग व परेशान रने की नीयत से उक्त वाद प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली गयी जिस ारण विद्युत कनैक्शन अधूरा रह गया व अप्रार्थी संख्या 2 को सिचाई हेतु भारी नुकसान ा सामना करना पड रहा है। दिनांक 16.04.2012 की समस्त कहानी प्रार्थी ने झूठी व नघडंत दर्ज की है। सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक अप्रार्थी संख्या 1 2 है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को किसी भी सूरत मे हुक्मईम्तनाइ चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस है कि विवादित आराजी शामलाती है। मौके पर कोई बंटवारा नही है। प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे है। अप्रार्थीगण के साथ शामलात मे काश्त करना सम्भव नही है क्योकि वे

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner

र्थी के हिस्से पर कब्जा करना चाहते है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है एवं पूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः विभाजन किये जाने तक रिकॉर्ड व के की यथास्थिति रखी जावे।

अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस है कि मोके पर आपसी विभाजन हो रखा । अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि मे नलकूप बनवाया है एवं विद्युत सम्बंध लेना ाहते है। विद्युत सम्बंध लेने हेतु प्रार्थी ने इस दावे से पूर्व ही अपनी लिखित सहमति दी ई है। प्रार्थी अपनी सहमति के कारण पाबंद है एवं अप्रार्थीगण को विद्युत सम्बंध लेने से ही रोक सकता। प्रार्थी शुद्वहस्त से न्यायालय मे नही आये है। अप्रार्थीगण ने पूर्व मे ही पना हिस्सा बैंक मे रहन रखा हुआ है परंतु अब अप्रार्थीगण को पाबंद कराना चाहता है। प्रार्थीगण सहिस्सेदार है जिन्हे पाबंद कराने का प्रार्थी को कोई अधिकार नही है। प्रार्थी के क्ष मे कोई प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन नही है। अप्रार्थीगण को विद्युत म्बंध नही मिलने के कारण क्षति हो रही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ाया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरणो मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व पूरणीय क्षति के बिंदु महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत प्रकरण मे जमाबंदी सम्वत 2067–2070 से स्पष्ट है कि पक्षकारान सखातेदार है। प्रार्थी द्वारा अपना हिस्सा रहन रखा हुआ है मै अप्रार्थीगण के इस तर्क से सहमत हूँ कि सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद केया जाना उचित नही है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थना का उद्देश्य अप्रार्थीगण को विद्युत सम्बंध लेने से रोकना है। विद्युत सम्बंध के अभाव मे काश्त कार्य केया जाना व भूमि से सही उपज लिया जाना सम्भव नही है। अप्रार्थीगण को क्षति होने ी पूरी सम्भावना है। इसलिए प्राथी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन वं अपूरणीय क्षति के बिंदु साबित नही है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आदेश 9 नियम 1 व 2 तथा सपठित धारा 151 जा.दी. खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2012 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज.

Scanned by CamScanner